

ग्रामसुधार कार्य एवम् जयपुर राज्य प्रजामण्डल के कार्यकर्ता—(1920—1947)

सारांश

19वीं सदी में सामन्ती प्रणाली के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन के साथ—साथ ग्रामीण कृषकों की स्थिति में भी निरन्तर गिरावट आयी तथा 20वीं सदी के आते आते खालसा व जागीरी दोनों क्षेत्रों में किसानों की स्थिति कट्टप्रद हो गयी। इस समय राजस्थान के जयपुर राज्य में भी गाँव के किसानों की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। ग्रामवासियों की इस स्थिति को सामाजिक रूढ़ियों ने और अधिक दुःखमय बना दिया था। जयपुर राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विभिन्न संस्थाओं व निजी तौर पर ग्रामीण कृषकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया लेकिन संकलिप्त रूप में पंडित हीरालाल शास्त्री ने वनस्थलि ग्राम में जीवन कुटीर सरथा के नाम से ग्राम सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम का निर्धारण किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों की शिक्षा, समानता, स्वस्थता आर्थिक स्वालम्बन को, अपनाने व सामाजिक अन्धविश्वास, कुरुतियों जैसे मृत्युभोज, नुक्ता, गंगभोज, झाड़—फूँक आदि को छोड़ने के लिए प्रेरित करके जागृति पैदा की। इनकी जागृति का ही परिणाम था कि राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु स्थापित जयपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के समय इनके ग्रामसुधार कार्यक्रम को प्रजामण्डल के रचनात्मक कार्यक्रम में स्वीकार किया गया। जयपुर राज्य में इस कार्य के सदर्भ में संगठित प्रयास यहीं से प्रारम्भ होता है।

प्रजामण्डल के कार्यकर्ता जमुना लाल बजाज ने जयपुर राज्य के सीकर ठीकाने में अकाल के समय किसानों के अधिकारों का ना केवल पक्ष लिया अपितु उनके पक्ष में आन्दोलन भी किया जिसका परिणाम यह निकला कि राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया कि किसानों के साथ लगान वसूली में ज्यादती नहीं होगी। इनके द्वारा चलाये गये आन्दोलन ने न केवल जयपुर में बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण किसानों में अधिकारों के प्रतिजन—चेतना को जागृत किया तथा इनका आन्दोलन सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया।

जयपुर के कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं ने मेरे द्वारा लिये गये साक्षात्कार के दौरान यह जानकारी दी कि जयपुर प्रजामण्डल के कार्यकर्ता ग्राम सुधार व कृषकों के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के लिए सजग व सक्रिय थे। ग्रामीणों के आर्थिक स्वालम्बन के लिए इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की, ग्रामवासियों को स्वस्थ बनाने, पैदावार बढ़ाने, खाली स्थान पर पेड़ लगाने, ग्रामवासियों के झागड़ों को ग्राम पंचायत स्तर पर सुलझाने, सामाजिक कुरुतियों को छोड़ने व शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। इन कार्यकर्ताओं के ग्रामसुधार कार्य का परिणाम यह निकला कि जयपुर ग्राम सुधार का जो दीप हीरा लाल शास्त्री द्वारा प्रज्ज्वलित किया गया था उसने उपरोक्त समयावधि में ही नहीं अपितु आगे भी समय क्रम के अनुसारन केवल किसानों को लाभान्वित किया अपितु उनमें सुधारों के प्रति अधिक से अधिक जनचेतना, जनजागृति को भी प्रचारित, प्रसारित व संचारित किया।

मुख्य शब्द : सामाजिक, ग्रामवासियों, प्रजामण्डल

प्रस्तावना

19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत के अलावा भारत का एक बड़ा भू—भाग देशी रियासतों के रूप में जाना जाता था। जहाँ देशी रजवाड़े आन्तरिक प्रशासन में स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। यह क्षेत्र लम्बे समय तक ब्रिटिश भारत की तुलना में समाज सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलन से वंचित रहा था। राजस्थान में भी इस समय 19 देशी रियासतें थीं जिनमें से एक रियासत जयपुर थी। गांधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते ही ग्राम सुधार कार्य को समाज सुधार के रचनात्मक कार्यक्रमों में अपनाया गया। इसी शृंखला में राजस्थान में विशेष रूप



पिंकी यादव
व्याख्याता,
इतिहास विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय,
कोटा, राजस्थान

से जयपुर में भी बहुत से कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ग्राम जीवन में सुधार हेतु जनचेतनाओं को कुछ संस्थाओं व निजी प्रयत्नों के द्वारा प्रचारित व प्रसारित करने का प्रयास किया ऐसे कार्यकर्ताओं में हम पण्डित हीरालाल शास्त्री, जमुना लाल बजाज, सीता राम सेक्सरिया, देवी शंकर तिवाड़ी, शान्ती स्वरूप डाटा, मुकित लाल मोदी, रेवा शंकर शर्मा, पूरण चन्द जैन, हकीम मोहम्मद इब्राहिम, जवाहर लाल जैन आदि का विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के ग्राम सुधार कार्यक्रम का संगठित प्रयास विधिवत रूप से 1936 में जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना से प्रारम्भ किया। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना परोक्ष रूप से राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति व स्वशासन स्थापना के उद्देश्य से हुयी थी। लेकिन उसने अपरोक्ष रूप से समाज सुधार के साथ-साथ ग्राम सुधार व ग्राम उत्थान का भी कार्य किया।

शोध का उद्देश्य

मेरा यह शोध पत्र मुख्य रूप से जयपुर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं की पत्रावली, पत्रव्यवहार, डायरी व मेरे द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं से लिए गए साक्षात्कार पर आधारित है तथा इस शोध पत्र काउडेश्य इस तथ्य को सामने लाना है कि जयपुर प्रजामण्डल जो कि राजनैतिक संगठन तथा लेकिन राजनैतिक अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी इसके कर्मठ कार्यकर्ताओं ने निजी व संगठित तौर पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से न केवल शहरी क्षेत्रों में जनजागृति के लिए रचनात्मक कार्य किये अपितु इन्होंने ग्राम सुधार कार्य को भी अपने सुधार कार्य कार्यक्रमों में शामिल किया। इन्होंने इस कार्यक्रम को प्रभावी व समग्र रूपदेने के लिए ग्रामीण समस्याओं का निवारण करते हुए लोगों में शिक्षा, स्वस्थता, आर्थिक स्वावलम्बन की भावना व चेतना प्रचारित व प्रसारित की तथा अन्धविश्वास कुरुतियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के मुख्य बिन्दु तात्कालिक समय में जयपुर राज्य के ग्रामीण किसानों की स्थिति, स्थिति सुधार हेतु पण्डित हीरालाल शास्त्री के जीवन कुटीर के माध्यम से प्रयास, जमुना लाल बजाज द्वारा सी कर ठीकाने के किसानों के अधिकारों की प्राप्ति, समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण जीवन में शिक्षाग्रहण, अच्छे स्वास्थ, आर्थिक स्वावलम्बन की प्रेरणा तथा अन्धविश्वास, कुरुतियों आदि को छोड़ने के लिए जनजागृति पैदा करने हैं।

राजस्थान में 19 वीं सदी के मध्य तक कृषकों के प्रति राजाओं तथा जागीरदारों का दृष्टिकोण खालसा तथा जागीर क्षेत्र में कृषकों को सन्तुष्ट रखने का होता था। भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, भूमि में खेती करने के लिए परम्परागत अधिकार सुरक्षित रहते थे और राजस्व उपज के आधार पर ही लिया जाता था।

19 वीं सदी के अन्तिम तीन दशकों में कृषकों की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ तथा इस परिवर्तन में कृषकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी। इस परिवर्तन के कई कारण थे जैसे प्रचलित सामन्ती प्रणाली

का भौतिक स्वरूप, जागीरदारों की बढ़ती हुयी मुद्रा आवश्यकता, बढ़ती हुयी मुद्रा आवश्यकता के कारण जागीरदारों व कृषकों में अलगाव, जागीरदारों की नयी पीढ़ी अर्थात उनके बच्चों का पश्चिमी जीवन पद्धति को अपनाना व अपनाने से ऋणग्रस्त होना, ऋण चुकाने के लिए कृषकोंपर कर को बढ़ाना, सस्ती दरों पर श्रमिकों का मिलना व कृषकों की मांग का घटना आदि। कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति का एक अन्य कारण कृषि उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य गिरना अथवा बढ़ना था। कृषक दोनों ही स्थितियों में घाटे में रहते थे। गिरते मूल्यों में उनकी बचत का मूल्य बहुत कम रहता था और बढ़ते मूल्यों में उन्हें लाभ नहीं मिलता था क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स में लेता था।

20 वीं सदी में कृषकों की समस्याओं में निरन्तर वृद्धि होती गई व इस समय खालसा व जागीरी क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति में कुछ अन्तर था। जहाँ खालसा क्षेत्रों में 20 वीं सदी के आरम्भ तक भूमि बन्दोबस्त हो चुके थे और कृषकों को निश्चित लगान का पता था। वहीं जागीरी क्षेत्र में कर के सब अधिकार जागीरदार के पास केन्द्रित थे तथा कृषकों पर लगान का निर्धारण जागीरदार द्वारा ही किया जाता था जो आमतौर पर काफी अधिक होता था इसलिए जागीरदार व कृषकों में अलगाव व असंतोष की स्थिति बनी रहती थी।¹

इस समय जयपुर राज्य में भी किसानों की स्थिति अधिक सन्तोषप्रद नहीं थी। जागीर क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों को जागीरदार प्रताड़ित करते थे तथा खालसा क्षेत्र के किसानों की स्थिति भी राजस्व अधिकारीयों के शोषण के कारण कष्टप्रद हो गयी थी। ग्रामवासियों की इस स्थिति को सामाजिक रुद्धियाँ और अधिक दुखमय बना देती थी। इसका नतीजा यह था कि ग्रामवासी आर्थिक दृष्टि से कमजोर और सामाजिक दृष्टि से दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस स्थिति को देखकर यद्यपि सभी समाज सुधारक अपनी संवेदना व्यक्त करते थे पर ग्राम सुधार की मूल भावना से प्रेरित होकर सबसे अधिक ठोस व्यवहारिक कार्य करने का निर्णय जयपुर राज्य प्रजामण्डल के एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो कि अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर राज्य के एक बड़े पद पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था। ये थे पण्डित हीरालाल शास्त्री। यद्यपि शास्त्री जी का मूलनिवास स्थान जोबनेर था। पर जब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर ग्राम सुधार के लिए कार्य करने का निश्चय किया तो उनके मानस पर रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा नित्य नये रूप में सामने आने लगी। उदाहरण के लिए 11-4-28 को लिखी अपनी डायरी में उन्होंने अपने समुख अनेक प्रश्नचिह्न प्रस्तुत किये। जिसका मूलनाम यह था कि वह समाज में व्याप्त रुद्धियों, सामाजिक असमानता, सामाजिक अन्याय से बहुत परेशान थे तथा उस समय सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधाराएँ चल रही थीं, जैसे समाजवाद, पूंजीवाद आदि, उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करने की इच्छा भी उनमें पैदा हो चुकी थी।² पर इन सबसे उनके मन में एक ऐसे वर्ग के लिए कार्य करने की बात बैठ गयी जिसे कि उन्होंने असहाय व कमजोर पाया। यह था उनका ग्राम सुधार का कार्यक्रम।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनस्थली ग्राम को बनाया। उस समय यह गांव जयपुर राज्य के पिछडे क्षेत्र में स्थित माना जाता था।

स्वयं शास्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इतने छोटे गांव में इससे पहले उन्होंने निवास नहीं किया था। पर जब उन्होंने ग्रामसुधार के रचनात्मक कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया था तो इस कार्य को करने के लिए उन्होंने अपनी कार्यपद्धति और सिद्धान्तों को मोटे तौर पर स्वयं के मार्गदर्शन के लिए निश्चित किया जिनमें से कुछ का हम यहां पर प्रमुख रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

1. बनस्थली ग्राम में ग्रामसुधार व आर्थिक स्वावलम्बन के कार्य को चलाने के लिए जीवन कुटीर नाम की संस्था स्थापित की गई।
2. ग्रामवासियों को अपनी खेती की उपज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वह लगान आदि खर्च की पूर्ति के बाद अपने खर्च के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न बचा सके।
3. ग्रामवासियों को पशुपालन के महत्व को बताना तथा इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। इस संदर्भ में अच्छी नसल के पशुओं को पालना, व स्थानीय देशी पशुओं की नसलों के सुधार की बात भी शामिल की गयी।
4. ग्रामवासियों में मितव्ययता के भाव को पैदा करना व उन्हें इस तत्व से अवगत कराना कि उपभोग के लिए वह महाजन से कर्ज ना ले क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है।
5. ग्रामवासी आर्थिक स्वावलम्बन के लिए कृषिकर्म के अलावा कुटीर उद्योगों का विकास करे। इसके लिए उन्होंने वस्त्र उत्पादन के कार्य को ग्रामवासियों में लोकप्रिय बनाने का रचनात्मक कार्य निश्चित किया।
6. ग्रामवासी शिक्षित हो ताकि वो अपने भले-बुरे की पहचान करने का विवेक पैदा कर सके, साथ ही समाज सुधार और राजनीतिक कार्यक्रम के महत्व को समझ सकें।
7. ग्रामवासियों को सामाजिक कुरीतियों के प्रभाव से मुक्त किया जाये ताकि उनके उनके व्यक्तिगत पारिवारिक व आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सकें।

जीवन कुटीर के माध्यम से पण्डित हीरालाल शास्त्री ने जिस ग्राम सुधार एवं आर्थिक स्वावलम्बन के कार्य को मूर्तरूप देने का निश्चय किया था उसकी मूलभावना यह थी कि जीवन कुटीर के कार्यकर्ता ग्रामवासियों के बीच वैसे ही रहे जैसे कि स्वयं ग्रामवासी रहते थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने व सहयोगी साधियों के श्रम से रहने के लिए ईट गारे की दीवारें चिनकर कच्चे मकान बनाये, जो आज भी उपलब्ध है, पीने के पानी के लिये स्वयं अपने श्रम से कुआँ खोदा व वह सब कार्य किया जो कि ग्रामवासी स्वयं अपने जीवन को चलाने के लिए करते थे। इसके पीछे मूल भावना यह थी कि ग्रामवासी इन लोगों के प्रति अपने मन में भेदभाव विकसित ना करें।

इस तथ्य को शास्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जीवन कुटीर के कार्यकर्ता सेवाभाव से ही इस कार्य में उतरे थे। इस कार्यक्रम की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें राज्य से किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं लेना था लेकिन राज्य की अवज्ञा करने का भाव भी उनमें नहीं था। अपने स्वअर्जित व स्वप्रयत्न से प्राप्त तथा अन्य सहयोगियों द्वारा अनुदानित धनराशि के आधार पर हीवह अपने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कृत संकल्प थे। इस कार्यक्रम में वस्त्र स्वावलम्बन का कार्य अधिक सफल हुआ तथा बनस्थली ग्राम के आस-पास के अनेकों गांवों में इसका विस्तार हुआ था।³ वस्त्र स्वावलम्बन के साथ-साथ गाँव के अन्य क्षेत्रों में भी निश्चित रूप से चेतना का संचार हुआ था जैसे कृषि सुधार कार्यक्रम भी यथासंभव आगे बढ़ा था तथा ग्रामवासी अब अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के प्रति सजग हुये थे। क्योंकि अब उनके मन में यह विचार बन गया था कि उनकी अतिरिक्त उपज को पारम्परिक शोषणकर्ता उनसे छीन नहीं सकेंगे।⁴

पशुपालन के कार्य को भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किये गये। इसके लिए जीवन कुटीर के कार्यकर्ता ने असली नसल के सांडों को लाकर देशी नसल में सुधार के लिए प्रयास किया था। यह बात ठीक है कि जीवन कुटीर के इस कार्यक्रम की संख्यात्मक आधार पर जानकारी नहीं मिलती पर इस कार्यक्रम का निकटवर्ती ग्रामवासियों पर असर हुआ था।

ग्रामवासियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए गांवों में रात्रि पाठशालाएँ स्थापित की गई। इन पाठशालाओं में शिक्षा का कार्य अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समान नहीं चलता था लेकिन ग्रामवासियों को लिखने पढ़ने का इतना ज्ञान करा दिया जाता था जिससे वह अपने हित कार्य को ठीक से समझ सकें और खेती सम्बन्धित साधारण हिसाब किताब रख सकें ये रात्रि पाठशालाएँ सामाजिक व राजनीतिक जाग्रति का भी मूल आधार थी।⁵ क्योंकि इनमें समाज सुधार की दृष्टि से स्वयं शास्त्री जी द्वारा लोक भाषामें लिखे गये गीतों को स्स्वर गाया जाता थाजिससे ग्रामवासी आनन्द का अनुभव करते थे, साथ ही उनकी भाषा में कहीं गयी बात को भी आसानी से समझकर कुछ उसका असर अपने जीवन पर भी लाने की चेष्टा करते थे।⁶

जीवन कुटीर के ग्रामसुधार कार्यक्रम में ग्रामवासियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा करना भी शामिल था इसके अन्तर्गत ग्रामवासियों में इस विचार को विकसित किया गया कि रोग निगरण का कार्य दवाओं से ही हो सकता है न कि झाड़-फूंक व जादू-टोने से। मौसमी रोगों के लिए जीवन कुटीर के कार्यकर्ता स्वयं ग्रामवासियों को औषधियों का वितरण करते थे तथा संक्रमित व बीमार लोगों को प्रेरित करते थे कि वह उपयुक्त डाक्टर की सलाह लेकर अपना रोग दूर करें। इससे निश्चित ही ग्रामवासियों को लाभ हुआ था। ऐसे ही ग्रामवासियों को मितव्ययता के विचार से भी परिवर्त बनाया गया था तथा उनको इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि गंगभोज, मृत्युभोज व इसी प्रकार के अन्य सामाजिक कार्यक्रम जिनमें गरीब किसानों को कर्ज लेकर

काम करना पड़ता था वे सब निरर्थक हैं तथा उनमें मितव्यता के अलावा कोई सार्थकता नहीं है। ऐसे अवसरों पर जीवन कुटीर के कार्यकर्ता स्वयं उपस्थित होकर ग्रामवासियों को प्रेरित करते थे किंवद्दि इन आयोजनों का परित्याग कर अपने को व्यर्थ में आर्थिक संकट के चक्र में फँसने से बचाए। एक बार पण्डित हीरालाल शास्त्री के निकट के किसान ने चुपचाप अपनी पत्नी के नुकते (मृत्युभोज) का आयोजन कर लिया। जब इसकी बात शास्त्री जी को मालुम हुयी तो उन्होंने स्वयं वहां जाकर इसका विरोध किया। फलस्वरूप ग्रामवासियों ने अपनी गलती मानी व भविष्य में ऐसा न करने का निश्चय किया।

जीवन कुटीर के कार्यकर्ताओं के इस प्रयास से पूर्णतः यह कुप्रथाएँ समाप्त नहीं हो सकी लेकिन इन कुप्रथाओं के विरुद्ध वातावरण जरुर बना था इससे इनके कार्य की महत्ता कम नहीं होती। वस्तु स्थिति यह है कि आगे चलकर जब 1936 में जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठित रूप उभराते इस ग्राम सुधार कार्यक्रम को उसके कार्यक्रम का एक मुख्य अंग बनाया गया था।⁷

जीवन कुटीर के माध्यम से जो कार्य ग्राम सुधार के क्षेत्र में चला उसको यथावत जारी रखा गया। इतना अवश्य है कि इस कार्य को और अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से चलाने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। इनमें हम प्रजामण्डल के अध्यक्ष जमुनालाल बजाज के साथ घनश्यामदास बिडला, सीताराम सेकसरिया, भागीरथ कानोड़िया का निश्चित रूप से उल्लेख कर सकते हैं कि जीवन कुटीर के ग्राम सुधार कार्य को यथावत जारी रखने की बात स्वीकार की थी।⁸ प्रजामण्डल की स्थापना से सम्पूर्ण जयपुर राज्य उसके कार्यक्षेत्र में आ गया था व इसीलिए समय—समय पर जहाँ कहीं भी कृषकों के शोषण की समस्याएँ पैदा हुयी उसमें प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने रचनात्मक भागीदारी अदा की। इस सन्दर्भ में हम सीकर के किसान आन्दोलन का विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं।⁹

जयपुर राज्य के सीकरठिकानों के अन्तर्गत 1939 में पर्याप्तवर्षा ना होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई पर सभी ठिकानों के ठिकानेदार किसानों से नयी लगान व्यवस्था के अनुसार लगान वसूल करना चाहते थे तो ग्रामवासियों ने विरोध किया। इस अकाल व जागीरदारों के व्यवहार के प्रति स्थानीय लोगों ने प्रजामण्डल के अध्यक्ष जमुनालाल बजाजका भी ध्यान आर्किर्षित किया। जिसके फलस्वरूप प्रजामण्डल ने शेखावाटी के अकाल क्षेत्र की अकाल की स्थिति की जांच करने व किसानों की सहायता के लिए प्रजामण्डल की एक समिति गठित की जो कि 'जयपुर प्रजामण्डल अकाल सेवा समिति' के नाम से जानी गयी। स्वयं प्रजामण्डल के प्रमुख सचिव हीरालाल शास्त्री ने भी शेखावाटी का दौरा किया जिससे किसानों के हौसले में वृद्धि हुयी। इस अकाल की स्थिति का स्वयं अनुभव करने के लिए प्रजामण्डल के अध्यक्ष जमुनालाल बजाज को भी आंमत्रित किया। बात उस समय अधिक जटिल हो गयी जबकि ठिकानेदारों के प्रतिनिधियों ने शेखावाटी किसानों द्वारा लगान ना देने की शिकायत राज्य सरकार से की इससे दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गयी। पर अब

किसान नेता इससे डरने वाले नहीं थे तथा प्रजामण्डल ने किसानों की वास्तविक कठिनाईयों से राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए किसानों को संगठित करने का निश्चय किया इस कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं जमुनालाल बजाज ने जयपुर आने का निश्चय किया। जिससे अब कुछ समय के लिए प्रजामण्डल जयपुर राज्य के बीच सीधे तनाव की स्थिति पैदा हो गयी, फलस्वरूप 19 दिसम्बर 1938 को सेठ जमुनालाल बजाज जब जयपुर आ रहे थे तो उन्हें सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर में प्रवेश से रोक दिया। इसके पश्चात् उन्होंने । फरवरी 1939 को निषेधाज्ञा भंग कर जयपुर राज्य में प्रवेश की घोषणा की जिस पर पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ कर राज्य की सीमा के बाहर ले जाकर छोड़ दिया पर 12 फरवरी को उन्होंने जयपुर राज्य में प्रवेश करने की कोशिश की जिसमें वे सफल न हो सके तथा उन्हें गिरफतार कर नजरबन्द कर दिया गया। शेखावाटी किसानों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने संगठित होकर विरोध किया। जयपुर राज्य प्रजामण्डल ने राज्य भर में जयपुर दिवस मनाने का काम हाथ में लिया। बड़ी मात्रा में किसानों ने इसमें भाग लिया। पुलिस के जुल्मों को सहकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। अन्त में राज्य और प्रजामण्डल के मध्य एक समझौता हुआ जिससे कि राज्य ने आश्वासन दिया कि किसानों के साथ लगान वसूली के कार्य में ज्यादती नहीं होगी। तथा भविष्य में अकाल जैसी प्राकृतिक विपदाओं के समय प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। राज्य ने यह भी आश्वासन दिया कि ठिकानेदारों पर राज्य की ओर से उचित निगरानी रखी जायेगी। इस तरह निश्चित रूप में जयपुर राज्य प्रजामण्डल ने किसानों की समस्याओं को अधिक से अधिक उद्घाटित करने, किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने, तथा अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष, करने की चेतना पैदा की जो कि निश्चित रूप से प्रजामण्डल कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है यह ठीक है प्रजामण्डल कार्यकर्ता राज्य के किसानों के पूर्ण शोषण को समाप्त नहीं करा सके पर इससे ग्राम चेतना संदेश का प्रचार व प्रसार निश्चित रूप से जयपुर राज्य के किसानों का प्रेरणा स्त्रोत बना।¹⁰

मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर कुछ कार्यकर्ताओं से साक्षात्कार लेकर जो जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर भी यह बात सामने आती है कि ये कार्यकर्ता भी प्रजामण्डल के कर्मठ सेवक के रूप में ग्राम सुधार एवम् कृषकों के जीवन से सम्बद्ध समस्याओं के निराकरण के लिए निरन्तर सजग और सक्रिय रहे। देवीशंकर तिवारी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वे स्वयं अनेकों बार जयपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में ग्राम सुधार कार्य के उद्देश्य से गये। उन्होंने अनेकों बार जागीरी क्षेत्र में बेगार से सम्बद्ध किसानों को मुक्त कराने का प्रयास किया था। ऐसे ही श्री मुकितलाल मोदी ने भी पण्डित हीरालाल शास्त्री केसाथ मिलकर ग्राम सुधार के कार्य में सक्रिय योग दिया था। श्री जवाहरलाल जैन ने ग्राम क्षेत्र में गाँधी जी द्वारा संचालित ग्राम स्वावलम्बन के कार्य को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना

की, जिसका मुख्य संचालक जमुनालाल बजाज को नियुक्त किया गया था। चरखा संघ का कार्यक्रम जयपुर प्रजामण्डलका भी प्रमुख कार्यक्रम बन गया तथा इस कार्य को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए जवाहरलाल जैन ने जयपुर के बुनकरों को खादी का सूत (धागा) कपड़ा बुनने में अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। आरम्भ में जो बुनकर रेजी बनाते थे उनको इस दिशा में कार्य करवाने वाले लोगों में जवाहरलाल जैन को अग्रणी व उल्लेखनीय माना जाता है। श्री शान्ती स्वरूप डॉटा ने भी ग्राम सुधार के कार्य में सक्रिय भाग लिया। जयपुर के निकटवर्ती गावों में जाकर वह ग्रामवासियों को स्वस्थ बनाने, फसलों की पैदावार बढ़ाने, उसके लिए गांवों में उपलब्ध साधनों से गोबर व कम्पोज खाद बनाने, अच्छे बीज को उपलब्ध कराने, खाली स्थान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। गांधीजी के ग्राम स्वावलम्बन के एक पक्ष के रूप में वह ग्रामवासियों को अपने आपसी झगड़ों को बातचीत या ग्राम पंचायत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित करते थे। इसके पीछे मूल भावना यह थी कि इससे अंग्रेजी शासन द्वारा स्थापित जो न्याय प्रणाली है उसके शोषक पक्ष के वह माध्यम ना बने। इसके अलावा उन्होंने ग्रामवासियों को शिक्षा ग्रहण करने तथा उनके व्याप्त सामाजिक कुरुतियों को भी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था।¹¹

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट है कि जयपुर राज्य प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने संगठित व निजी तौर पर राज्य की वह बहुसंख्यक जनता जो कि ग्राम में निवास करती थी उनके कष्टों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। ग्राम सुधार की नवज्योति को प्रजल्वलित करने का कार्य पण्डित हीरालाल शास्त्री द्वारा वनस्थली में जीवन कुटीर संस्था के माध्यम से श्रीगणेशित हुआ तथा इसके बाद यह काम न केवल शास्त्रीजी के माध्यम से अपितु अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे जमुनालाल बजाज, सीताराम सेकसरिया, जवाहरलाल जैन, हकीम मोहम्मद इब्राहिम, शान्तीस्वरूप डाटा, घनश्यामदास बिडला आदि के माध्यम से प्रकाशित व पल्लवित होता रहा। ग्राम सुधार कार्यक्रम ने जहाँ कृषकों को आर्थिक स्वावलम्बि बनाने का प्रयास किया वहीं ग्राम में विद्यमान कुरुतियों, अंधविश्वासों को भी दूर करने का प्रयास किया। ग्राम्य जीवन में विधमान असमानता व अशिक्षा की समाप्ति के लिए भी अधिक से अधिक

जनचेतना, जनजाग्रति को प्रचारित व प्रसारित किया गया। तथा इस कार्यक्रम ने समयक्रम के अनुसार राज्य के किसानों को अवश्य ही लाभन्वित किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा. एम. एस. जैन – आधुनिक राजस्थान का इतिहास- पंचशील प्रकाशन जयपुर 1988-पृष्ठ- 280-285
2. हीरालाल शास्त्री – प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र द्वितीय खण्ड- आदित्य ग्रन्थ माला पुष्ट-5 1974, पृष्ठ- 28
3. हीरालाल शास्त्री – प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र द्वितीय खण्ड- आदित्य ग्रन्थ माला पुष्ट-5, 1974, पृष्ठ- 46-47
4. रामनारायण चौधरी –आधुनिक राजस्थान-राजस्थान प्रकाशन मण्डल अजमेर-पृष्ठ-18
5. डा. मदन गोपाल शर्मा- वनस्थली का वानप्रस्थी- आदित्य ग्रन्थ माला पुष्ट-6-पृष्ठ-72
6. रामनारायण चौधरी – आधुनिक राजस्थान – राजस्थान प्रकाशन मण्डल अजमेर, पृष्ठ- 128-129
7. जयपुर राज्य प्रजामण्डल की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट – 1936
8. हीरालाल शास्त्री – प्रत्यक्ष जीवन द्वितीय खण्ड – आदित्य ग्रन्थ माला पुष्ट -5, 1974 – पृष्ठ 50,51
9. एस.एन.तिवारी – रोल ऑफ बिजनेस कम्पनीटी इन फ्रीडम सूवर्सेन्ट- आलेख पब्लिशर, एम.आड. जयपुर 1991- पृष्ठ-170-175
10. टी.वी. पर्वत- जमुनालाल बजाज-नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस
11. जमुनालाल बजाज पेपर्स- पत्रव्यवहार- नेहरु मेमोरियल एवम् लाइब्रेरी- पृष्ठ 5-20
12. जमुनालाल बजाज पेपर्स – पत्र व्यवहार- नेहरु मेमोरियल एवम् लाइब्रेरी- पृष्ठ- 89-140
13. जयपुर राज्य प्रजामण्डल की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट अप्रैल 1938 से मार्च 1940 तक
14. जयपुर राज्य प्रजामण्डल के निम्न कार्यकर्ताओं से निजी साक्षात्कार पर आधारित देवीशंकर तिवारी रेवाशंकर शर्मा शान्तीस्वरूप डाटा जवाहरलाल जैन